राजस्थान–सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः प.10(1)वित्त/राजस्व/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 29 MAY 20

समस्त विभागाध्यक्ष,

आयुक्त, कालेज शिक्षा, जयपुर

विषय : लम्बित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 से 82 के अनुसार पेंशन प्रकरण तैयार करने की प्रक्रिया दी हुई है जिसके अनुसार समस्त कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उनके अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृति से 2 वर्ष पूर्व उनके पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सेवानिवृति से 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाने का प्रावधान है। नियम 90 में ऐसे मामलों में अनन्तिम (प्रोवीजन पेंशन) नियुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ भिजवाने का प्रावधान है जिनमें विभागीय/न्यायिक वाद बकाया हो।

नियम 94 (3) में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की सामयिक समीक्षा संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष, एवं प्रशासनिक विभाग के स्तर पर करने का प्रावधान है। सामान्यतः देखने में आया है कि विभाग में राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृति के समय पेंशनरी परिलाभों का भुगतान करने से संबंधित प्रक्रिया की पूर्ण रूपेण पालना समय पर नहीं की जाती है जिसके कारण पेंशन प्रकरण लम्बित चलते रहते हैं एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है।

इस प्रकार के प्रकरणों को माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं बकाया पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में एक विशेष अभियान माह जनवरी, 2013 में चलाया गया एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निदेशक पेंशन विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2376–2525 दिनांक 21.12.2012, 2609–2758 दिनांक 4.1.2013 एवं 3862–3982 दिनांक 18.3.2013 द्वारा लम्बित पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु इस संबंध में प्रगति की सूचना अधिकांश विभागों से प्राप्त नहीं हुई है।

अतः लम्बित पेंशन प्रकरणों को यथा संभव शीघ्र निस्तारण की मोनिटेरिंग की उचित व्यवस्था बनाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

1. सेवानिवृत कर्मचारियों के लम्बित पेंशन प्रकरणो की जिलेवार सूचना सलंग्न पंजिका –क में तैयार की जाये।
2. ऐसे सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों जिनके विरूद्ध विभागीय जॉच/न्यायिक प्रक्रिया लम्बित होने के कारण प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृत की गयी है, के संबंध में सूचना पंजिका ख में तैयार की जाये।
3. उपरोक्तानुसार पंजिका क, ख के संबंध में प्रत्येक तिमाही के बाद माह जनवरी, अप्रेल, जुलाई व अक्टूबर माह में अध्ययतन करते हुए पूर्ण सूचना संबंधित प्रशासनिक विभाग को भिजवाते हुये यथा प्रतिलिपि निदेशक पेंशन विभाग जयपुर को भी दी जाये। यदि सूचना शून्य हो तो भी उपरोक्तानुसार पंजिकाओं का संधारण अवश्य करते हुए निल की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे।

उपरोक्तानुसार पंजिकाओं का संधारण करते हुए लम्बित पेंशन प्रकरणों के संबंध में अप्रेल माह की सूचना शीघ्र तैयार कर प्रशासनिक विभाग एवं निदेशक पेंशन विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे बकाया पेंशन प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की जाकर उनके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 गोविन्द शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 26 (पेंशन)एम / आयो / आकाशि / पार्ट II / 94 / 351 दिनांक: 2.7. ,2013

प्रतिलिपि :-

1 समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान जयपुर
2 संयुक्त निदेशक स्थापना / कार्मिक / कालेश शिक्षा राजस्थान जयपुर
3 डा. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट पर अपलोड बाबत

वित्तीय सलाहकार
निदेशालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर

109

पंजिका 'क' का प्रारूप

विलम्बित प्रकरणों के निस्तारण संबंधी पंजिका

क.स.	नाम कर्मचारी	सेवानिवृति तिथि	पद	कार्यालय	पेंशन विभाग को पेंशन प्रकरण न भेजने के कारण	निस्तारण निर्णय हेतु की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7

पंजिका 'ख' का प्रारूप

विभागीय जांच/न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के कारण केवल अनन्तिम पेंशन जारी करने के मामलों में अंतिम पेंशन अधिकृत कराने की पंजिका

क.स.	नाम कर्मचारी	सेवानिवृति तिथि	पद	कार्यालय	लंबित विभागीय जांच/न्यायिक प्रक्रिया का संक्षिप्तीकरण	विभागीय जांच/न्यायिक प्रक्रिया का निर्णय शीघ्र कराने के लिए विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7